

तरफ ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने सुभाव भी दिया कि अहमदाबाद से दिल्ली तक जो एम. जी. लाइन है, उसको बी. जी. कोजिए।

अब इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सुभाव उन्होंने दिया है, वह बड़े सामने है, हमारे यहाँ नोटिड है, जब सब पर विचार करने लगेंगे तब इस प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे।

एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी—कल श्री कुम्भाराम जी ने कहा कि राजस्थान कौन्सिल का जो एरिया है, यह दुनिया का सब से बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि 450 किलोमीटर का यह एरिया सरसब्ज हों जायगा, इस पर 250 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई रेल की लाइन नहीं है। उस एरिये के डवलपमेन्ट के बाद जो सामान वहाँ पर पैदा होगा, वह कैसे बाहर जायगा? उन की यह बात मुझे ठीक लगी। वहाँ पर एरिया डवलपमेन्ट कमेटी पहले से जरूर होगी, अगर उन्होंने यह सुभाव दे दिया होता तो इस पर कार्यवाही शुरू हो जाती। लेकिन वहाँ दूसरी सरकार थी, हमारी सरकार होती या सुखाड़िया जी की होती, तो उन्होंने अवश्य ऐसा सुभाव दे दिया होता। हम को अभी तक वहाँ से किसी ने नहीं लिखा है। लेकिन मैं उनकी इस बात को जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रदेश का बहुत दिनों तक मुख्य मंत्री रह चुका हूँ। जिस एरिये का डवलपमेन्ट किया जाता है वहाँ एक एरिया डवलपमेन्ट कमेटी बनाई जाती है और जो इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाती हैं, वे उस के द्वारा दी जाती हैं, इससे जनता को बहुत फायदा होता है, वरन सारा इन्वेस्टैड मनी लोकलाइज्ड हो कर रह जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके सुभाव की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने इसे मेरे ध्यान में ला दिया है, जिस के लिए मैं उन का कृतज्ञ हूँ इस पर हम अवश्य विचार करेंगे। यद्यपि उन्होंने यह भी कह दिया है कि ये गैरजिम्मेदार है। गैर-जिम्मेदार है, तो वैसे ही सही, जैसे है, वैसे है, उनके सेवक हैं और जैसा बन पड़ेगा सेवा करने की कोशिश करेंगे।

मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, आप ने मुझे सन्नत किया और मैं कृतज्ञ हूँ माननीय सदस्यों

का, उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं उन की बातों का उत्तर दे सकूँ।

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): I raised two basic issues and the Minister has not been kind enough to refer to them.

MR. CHAIRMAN: You may please meet him afterwards and he may reply to those points.

15.18 hrs.

### DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): Mr. Chairman, Sir, the Delhi High Court was established under Section 3 of the Delhi High Court Act, 1966. Under Section 5(2) of the said Act, the Delhi High Court had ordinary original civil jurisdiction in every suit the value of which exceeded Rs. 25,000/- After the establishment of the High Court, it was found that the limit of Rs. 25,000/- for civil suits was too low for a metropolitan area like Delhi and that the High Court had started accumulating arrears. In the interest of speedy disposal of work, the Act was amended in 1969 raising the limit of its pecuniary jurisdiction from Rs. 25,000/- to Rs. 50,000/-. The arbitration jurisdiction of the High Court under the Arbitration Act, 1940, was also correspondingly raised to suits whose value exceeded Rs. 50,000/-.

Even after the monetary limit was raised from Rs. 25,000/- to Rs. 50,000/-, arrears of original civil suits continued to accumulate and they have gone up from 1017 at the end of 1970 to 3166 on 30th June, 1978 and 3610 on 30th June, 1979. Having regard to the present value of money and the increasing arrears in the High Court, it is considered necessary that the present limit of Rs. 50,000/-

[Shri P. Shiv Shanker]

should be raised and that the High Court should have ordinary original civil jurisdiction only in suits whose value exceeds Rs. 1,00,000. Consequently, the arbitration jurisdiction of the High Court, under the Arbitration Act, 1940 will also be correspondingly raised to suits whose value exceeds Rs. 1 lakh. The measure had been recommended by the metropolitan Council of Delhi in 1978 before it was introduced in the Rajya Sabha. It was introduced in the Rajya Sabha on 7-12-1978. The Delhi High Court (Amendment) Bill, 1980 has been passed by Rajya Sabha on 12th June, 1980.

Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Vijay Kumar Yadav.

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): सभापति महोदय, वैसे यह बिल ऐसे है, जिस पर बोलने की कोई खास बात नहीं है। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं एक बात की ओर केवल मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जोकि यह जो हमारा सुझाव है वह इस बिल के अन्दर नहीं आता है। जो कुछ आज जूडीशियरी की हालत है और खास तौर पर चाहे दिल्ली की बात हो...

MR. CHAIRMAN: Mr. Yadav, we are going to discuss the Budget, when you can speak in general terms.

श्री विजय कुमार यादव: एक मिनिट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं यह कह रहा हूँ कि सारे देश के अन्दर और दिल्ली हाई कोर्ट में भी, जो बहुत बड़े पैमाने पर मुकदमे लम्बित हैं, सरकार का ध्यान इस ओर कई क्वार्टर से खींचा गया है और हमारी भी यह जावकारी है कि आदातर कोर्ट्स के अन्दर जजों की बहुत सारी जगहें

खाली हैं लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है और वह एक्टिवली इस बात को कंसिडर नहीं कर रही है, जिस की वजह से जगहें खाली हैं और कसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेरा तो यह स्पष्ट सुझाव होगा कि जो जजों की जगहें खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरा जाए और नई जगहें भी क्रियेट की जाएं ताकि जो कसेज पेंडिंग हों, उनका डिस्पोजल हो सके।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री मूलचन्द्र डागा (पाली): सभापति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विधि मंत्री जी ने विधि मंत्री बनने के बाद अपनी हर स्पीच में इस बात को कहा है:

"The entire judicial system will have to be re-oriented to suit the Indian conditions."

यह बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। कानून मंत्री हों या शिक्षा मंत्री हों, इस बात को रोज कहते हैं कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षी में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे कानून मंत्री जी ने कानून में परिवर्तन करने के लिए यह किया है कि एक लाख रुपये की लागत वाले जो मुकदमे हैं, उन सारे मुकदमों को नीचे वाली कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जो देश की हाई कोर्टों में कसेज पेंडिंग हैं, वे 6 लाख 10 हजार 823 हैं। मैं सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता लेकिन यह बताना चाहता हूँ कि इलाहबाद में 1,24,540, दिल्ली में 30,329, कलकत्ता में 71,950 और बम्बई में 58,090 कसेज हाई कोर्टों में पेंडिंग हैं। इस प्रकार से देश की सब हाई कोर्टों में कुल मिलाकर 6 लाख 10 हजार 823 मुकदमे पेंडिंग हैं।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज 18 जज हैं और तीन एडीशनल जज हैं। इस तरह से कुल 21 जज हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद हैं लेकिन मुझे आप यह बताइये कि सबोडीनेट कोर्ट्स में कति सा काम कम है। वहाँ

पर तो कोसेज में डे-टू-डे हियोरिंग नहीं होती। एक कोस लिया जाता है और उस कोस को पोस्टपोन करते हैं। मेरी समझ में वहाँ पर वैसे ही काम ज्यादा है और आज हिन्दू-स्तान के अन्दर 55 जगहें खाली हैं, 55 वैकेंसीज हैं।

**सभापति महोदय:** इस बिल में तो पीक्यूनरी जूरिसडिक्शन बढ़ाने की बात है।

**श्री मूल चन्दा शाहा:** इस जूरिसडिक्शन को बढ़ाने से लाभ क्या होगा। आप जब यही चाहते हैं कि उन कोर्टों पर और ज्यादा वजन डाल दिया जाए। उन कोर्टों में पहले से ही ज्यादा मुकदमों हैं। अभी एक उदाहरण सामने आया था कि 28 साल में एक मुकदमों का फैसला हुआ है। आप सिविल प्रोसीजर कोड में एमेंडमेंट नहीं करेंगे और लोगों को सस्ता न्याय नहीं देना चाहते, और इस प्रकार का एमेंडमेंट ला कर सारे मुकदमों उन कोर्टों में दे देंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो हमारी जूडोशियरी है, मुझे क्षमा करें, उतनी ईमानदार नहीं रही जितनी कि पहले थी। हाई कोर्ट के अन्दर एक लाख रुपये की क्या कीमत है। आज एक रुपये की कीमत 26 पैसे रह गयी है। जब तक छोटी कोर्टों, सबोरेडिनेट कोर्टों के विस्तार करने की गुंजाइश, अप टू डेट बनाने की गुंजाइश नहीं होगी तब तक जिस आन्जैक्टिव से आप दिल्ली मेट्रोकाउंसिल की सिफारिश पर यह बिल लाए हैं तब तक आपका वह आन्जैक्टिव पूरा नहीं होगा। हाई कोर्ट जजिज कमीट्टे होते हैं। उनको द्वारा कोसिज का जल्दी डिस्पोजल होगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप इस छोटे से एमेंडमेंट पर पुनर्विचार करें। आप हाई कोर्टों में जजिज की संख्या बढ़ा दें और हाई कोर्टों में ही कोस रखे जाएं। अन्यथा नोटिस सर्व होंगे, कोसिज लटके रहेंगे और बहुत समय लगेगा।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS  
(SHRI P. SHIV SHANKAR): Mr. Chairman, Sir, the amendment is a

very formal one. This amendment was brought in, as I said, by the previous government in 1978. It is only a very formal one in the sense that the burden of the High Court has got to be lessened. My friends referred to various vacancies to be filled and further vacancies to be created. I don't think that the problem of backlog of cases could be solved by merely creating vacancies. So far as the existing vacancies are concerned, we are taking all possible steps to fill up as early as possible. I don't think any valid objection has been raised and I request that the Bill be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 to 4 were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. SHIV SHANKAR: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up Private Members' Business.

Shri M. M. A. Khan.

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**

**SECOND REPORT**

SHRI M. M. A. KHAN (Etah): I beg to move:

"That this House do agree with the Second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th June, 1980."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th June, 1980."

*The motion was adopted.*

15.29 hrs.

**RESOLUTION RE. CENTRE-STATE RELATIONSHIP—Contd.**

MR CHAIRMAN: The House will now take up further discussion of the following Resolution moved by Shri-mati Suseela Gopalan on 1st February, 1980:—

"This House is of the opinion that a reappraisal of the existing Centre-State relations with a view to give more financial powers and greater autonomy for the States in consonance with the true concept of federalism is necessary and in this context calls upon the Central Government to immediately convene a Conference of Chief Ministers along with representatives of recognised political parties."

Shri C. T. Dhandapani.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): This question has of course its own meaning and I want to explain the object of this resolution and one would need more time for this.

15.30 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

The hon. Mover of the Bill has taken some pains to bring out the idea of federalism to the notice of the entire nation. I congratulate her. But at the same time I have my own suspicion. The communist parties, left and right, have raised the bogey of state autonomy but they were those who opposed the very same idea on previous occasions. That is why I have my suspicions. In recent times, the Governments of Kerala and the Government of West Bengal are trying to focus attention, not on allocation of funds or sharing of powers between the Centre and the States but they are bent on attacking the Central Government.

DMK is the only party which initiated this idea long ago. That was the main reason why our leader Doctor Kalaignar had initiated the move by appointing the Rajamannar Committee consisting of economists and others high in judiciary. Dr. Rajamannar was the chairman of the Committee; Dr. A. Lakshmanaswami Mudaliar and Justice Chandra Reddi were members of that Committee. The object of the Committee was to enquire into Centre-State relations, to examine the existing provisions of the Constitution, to suggest measures for augmenting the resources of the state for securing the utmost autonomy of the state in executive, legislative and judicial branches "without prejudice to the integrity of the country as a whole". That Committee gave a report in 1971. That report was considered by a committee set up by the DMK Party itself and then the report was brought before the State legislative assembly. The state government published a white paper asking for the